भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1237

(जिसका उत्तर सोमवार, 08 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है।)

"देश में लॉटरी विनियमन"

1237. **श्री अनुराग सिंह ठाकुर**:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश के विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित लॉटरी से सृजित राजस्व के बारे में कोई अध्ययनमूल्यांकन किया है/, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने राज्यों द्वारा लॉटरी अधिनियम (विनियमन), 1998 की धारा का अनुपालन करने पर ध्यान दिया है, विशेष रूप से लॉटरी के संचालन, नियमन और निषेध के संबंध में और यदि हाँ तो पिछले पांच वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लॉटरी से जीएसटी सहित प्राप्त किए गए राजस्व का तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है-;

(ग) क्या देश में लॉटरी विनियमन) अधिनियम), 1998 की धारा 4 (लॉटरी आयोजित करने की शर्तों से संबंधितका उल्लंघन और अनियंत्रित/ऑनलाइन लॉटरी के प्रसार की घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं (, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) लॉटरी विनियमन) अधिनियम), 1998 के तहत निगरानी को सुदृढ़ करने और अवैध संचालन को रोकने और विधिसम्मत राजस्व सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): हाल में ऐसा कोई अध्ययन/मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ख), (ग) और (घ):

गृह मंत्रालय ने लॉटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 की धारा 10 के तहत दिनांक 02.08.2011 को निर्देश जारी किए हैं जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि लॉटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 और लॉटरी (विनियमन) नियमावली, 2010 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। गृह मंत्रालय ने दिनांक 18.07.2018 को सभी लॉटरी आयोजित करने वाले राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वे ऑनलाइन लॉटरी के लिए प्रयोग होने वाले अपने सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर को

मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय (एसटीक्यूसी) से प्रमाणित करवाएं ताकि ऑनलाइन लॉटरी आयोजित करने के लिए प्रयोग होने वाले हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित हो सके। इसके पश्चात दिनांक 22.01.2019 को सभी लॉटरी आयोजित करने वाले राज्यों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि ऑनलाइन और पेपर लॉटरी के फीचर्स को मिलाकर बनी लॉटरी, लॉटरी (विनियमन) नियमावली, 2010 के अनुसार नहीं है और इसलिए अगर लॉटरी आयोजित करने वाले किसी भी राज्य सरकार ने पहले ही इसे शुरू कर दिया है, तो इसे तुरंत रोक दिया जाए। लॉटरी (विनियमन) नियमावली, 2010 के तहत लॉटरी आयोजित करने वाले राज्यों को दी गई ज़िम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय में प्राप्त शिकायतों को उचित कार्रवाई हेतु संबंधित लॉटरी आयोजित करने वाले राज्यों को भेज दिया जाता है।

राज्य सरकारों द्वारा लॉटरी टिकटों की बिक्री से एकत्र किए गए राजस्व से संबंधित जानकारी संबंधित राज्य सरकारों के दायरे में आती है। जीएसटी के तहत लॉटरी की आपूर्ति हेतु कोई अलग टैरिफ आइटम या सर्विस कोड नहीं है। अत: लॉटरी से प्राप्त जीएसटी राजस्व के संबंध में मांगी गई सूचना उपलब्ध करा पाना संभव नहीं है।

जीएसटी फ्रेमवर्क के तहत निगरानी को सुदृढ़ करने, अवैध संचालन पर रोक लगाने और विधिसम्मत जीएसटी राजस्व सुरक्षित करने को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय पहले से ही लागू हैं:

- राज्य सरकारों द्वारा लॉटरी वितरकों या विक्रय एजेंटों को उनकी बिक्री के स्तर पर लॉटरी टिकटों पर जीएसटी 22.09.2025 से प्रभावी @40% देय है। यह लॉटरी वितरकों या विक्रय एजेंटों द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर देय है।
- लॉटरी टिकटों की आगे की बिक्री पर कोई जीएसटी नहीं लिया जाता है क्योंकि इस बिक्री को छूट दी गई है।
- दिनांक 01.03.2020 से लॉटरी पर जीएसटी दर को युक्तिसंगत बना दिया गया है, जिसमें राज्य सरकारों द्वारा संचालित लॉटरी और राज्य सरकारों द्वारा अधिकृत लॉटरी के बीच कोई अंतर नहीं है। दिनांक 01.03.2020 से पहले लॉटरी पर दो दर लगते थे, अर्थात राज्य सरकारों द्वारा संचालित लॉटरी पर 12% और राज्य सरकारों द्वारा अधिकृत लॉटरी पर 28%। दिनांक 01.03.2020 से 22.09.2025 तक लॉटरी पर 28% जीएसटी की एकसमान दर लगती थी और दिनांक 22.09.2025 से अब तक इस पर 40% जीएसटी की एकसमान दर लगती है।

*****